

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, (योजना एवं लेखा)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक:-

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 तक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत कोटे के अधीन निजी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या के आधार पर कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग बच्चों के लिए प्रति छात्र 4,350/- (चार हजार तीन सौ पचास रु०) मात्र की दर से आवंटन के संबंध में।

महाशय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-0102-शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि, विपत्र कोड संख्या-पी 2202011020102 विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा में मद के रूप में रु० 9,99,97,800/- (नौ करोड़ निनानवें लाख संतानवें हजार आठ सौ रूपये) मात्र वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपको निम्न प्रकार अतिरिक्त आवंटन आवंटित की जाती है।

विवरणी

क्रमांक	कोड संख्या मद	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि (रु० में)	कुल आवंटित राशि
1.	31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा	0	9,99,97,800	9,99,97,800
	कुल रूपये :-	0	9,99,97,800	9,99,97,800

तत्काल आवंटित राशि रूपये 9,99,97,800/- (नौ करोड़ निनानवें लाख संतानवें हजार आठ सौ रूपये) मात्र।

- मासिक व्यय विवरणी प्रतिमाह अवश्य भेजी जाए। व्यय विवरणी वांछित प्रपत्र में अपने या अधीनस्थ सभी निकासी पदाधिकारियों को सम्मिलित कर भेजा जाए। टी0भी0 नम्बर के अभाव में विपत्र की निकासी की वास्तविक निधि एवं तिथि अवश्य अंकित करें।
- मितव्ययिता अवश्य बरतें।
- पत्र प्राप्ति की सूचना अवश्य दें।

5. यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि0-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 423 दिनांक-31.03.2016, 2793 दिनांक-04.04.2016 एवं 4572 दिनांक-03.06.2016 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।
6. कोषागार से विपत्र की निकासी करते समय प्राप्त आवंटित के शीर्ष का ही मुहर लगाया जाए।
7. उक्त राशि स्वीकृत्यादेश संख्या-105 दिनांक-23.03.2017 के आलोक में आवंटित है।
8. उक्त राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश में अंकित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।
9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रपत्र के महालेखाकार, बिहार, पटना को समर्पित किया जाये।
10. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जाये।
11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाय। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी की प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
12. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित न हो।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक :-5/बी01-54/2016 343 पटना, दिनांक:- 24/3/17

प्रतिलिपि:- ~~सर्वोच्च कोषागार पदाधिकारी~~ / निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद सहायक निदेशक (योजना)/लेखाशाखा/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव

संजीव

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-01 प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता, उप शीर्ष-0102-शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि, विपत्र कोड संख्या-पी 2202011020102 विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा में वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिलावार अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	पूर्व में आवंटित राशि (रु० में)	वित्तीय वर्ष 2011-12 से वित्तीय वर्ष 2014-15 तक 25 प्रतिशत कोटे के अधीन निजी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या	तत्काल आवंटित राशि (रु० में)	कुल आवंटित राशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	अररिया	0	690	3001500	3001500
2	अरवल	0	57	247950	247950
3	औरंगाबाद	0	153	665550	665550
4	बांका	0	574	2496900	2496900
5	बेगूसराय	0	394	1713900	1713900
6	भागलपुर	0	258	1122300	1122300
7	भोजपुर	0	1181	5137350	5137350
8	बक्सर	0	266	1157100	1157100
9	दरभंगा	0	1080	4698000	4698000
10	पूर्वी चम्पारण	0	1037	4510950	4510950
11	गया	0	751	3266850	3266850
12	गोपालगंज	0	610	2653500	2653500
13	जमूई	0	511	2222850	2222850
14	जहानाबाद	0	581	2527350	2527350
15	कैमूर	0	455	1979250	1979250
16	कटिहार	0	339	1474650	1474650
17	खगड़िया	0	398	1731300	1731300
18	किशनगंज	0	736	3201600	3201600
19	लखीसराय	0	62	269700	269700
20	मधेपुरा	0	474	2061900	2061900
21	मधुबनी	0	403	1753050	1753050
22	मुंगेर	0	916	3984600	3984600
23	मुजफ्फरपुर	0	1263	5494050	5494050
24	नालन्दा	0	973	4232550	4232550
25	नवादा	0	872	3793200	3793200
26	पटना	0	1459	6346650	6346650
27	पूर्णिया	0	288	1252800	1252800
28	रोहतास	0	412	1792200	1792200
29	सहरसा	0	757	3292950	3292950
30	समस्तीपुर	0	516	2244600	2244600
31	सारण	0	559	2431650	2431650
32	खिपुरा	0	283	1231050	1231050
33	शिवहर	0	232	1009200	1009200
34	सीतामढ़ी	0	305	1326750	1326750
35	सिवान	0	656	2853600	2853600
36	सुपौल	0	440	1914000	1914000
37	वैशाली	0	899	3910650	3910650
38	पश्चिमी चम्पारण	0	1148	4993800	4993800
	कुल	0	22988	99997800	99997800

कुल (नौ करोड़ नानावें लाख सतानवें हजार आठ सौ) रुपये मात्र।

(विनोद कुमार सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।